रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939
No. 680] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

का.आ. 772(अ).—मंत्रालय प्रारुप अधिसूचना का.आ. 3546 (अ.), दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

मेहो वन्यजीव अभयारण्य (जिसे इसके पश्चात अभयारण्य कहा गया है) 95°50' और 96°30' पूर्व देशांतर और 28°03' और 28°15' उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है और अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में लोअर दिबांग घाटी जिला में स्थित है और लोअर दिबांग घाटी के जिला मुख्यालय, रोइंग के नज़दीक लगभग 1.0 किलोमीटर दूर है;

और, अभयारण्य की ऊंचाई उत्तरी सीमा से बढ़कर दक्षिणी सीमा पर औसत समुद्री स्तर (एमएएमएसएल) से ऊपर 400 मीटर तक भिन्न-भिन्न है जो 3110, 3568,3560, 3003 और 2997 एमएएमएसएल को छूने वाली श्रेणी शिखर को छूती है। अभयारण्य में उत्तर-दक्षिण की ओर विभिन्न ऊंचाई छोटी पहाड़ियां आती है, जो ढलानों के साथ 55° से 70° तक भिन्न- भिन्न होती है। घाटियां नदियों और धाराओं के साथ संकीर्ण हैं। यह भिन्न-भिन्न उपशमनों पर छोटी समतल भूमि से

अलग है, जो कि वन्यजीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। तीन प्राकृतिक जल निकाय अर्थात् मेहो झील, छोटी मेहो झील और सैली झील अभयारण्य को महत्व को बढ़ाती हैं;

और, अभयारण्य के पारिस्थितिकी, वनस्पति, जीवजन्तु और प्राकृतिक महत्व को देखते हुए, इसे सं. एफओआर.85/77/27-39-40 दिनांक 18 अक्टूबर, 1980 के द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह सं. एफओआर.85/77. दिनांक 10 अक्टूबर, 1986 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अस्तित्व में आया। यह क्षेत्र 281.50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और संभागीय वन अधिकारी, मेहो वन्यजीव अभयारण्य संभाग, रोइंग के मुख्यालय के अंतर्गत प्रशासित होता है;

और, अभयारण्य में विभिन्न वन प्रकारों जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन, उप-उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, समशीतोष्ण व्यापक पत्तियां वन, समशीतोष्ण शंकुवृक्ष वन, आर्द्र समशीतोष्ण वन और बांस वन का प्रतिनिधित्व है;

और, अभयारण्य वनस्पति और जीवजन्तु जैव विविधता को संरक्षित करता है और 138 जीवजन्तु की प्रजातियों, 36 वनस्पति की प्रजातियों, 137 महत्वपूर्ण पक्षी-जीव की प्रजातियों और 31 उभयचर और सरीसृप की प्रजातियों का संरक्षण करता है। 36 वनस्पति की प्रजातियों में *टर्मिनलिया मेरियोकारपा* (होलॉक), *टर्मिनलिया बेल्लेरिका, एल्टिंगिया एक्सेलसा* (जुतली), *एबिज़िया ल्यूसीडा, कैनेरियम स्ट्रीक्टम* (धूना), *लार्जेस्ट्रोमिया मुनीटेकार्पा, डूबांगा ग्रांडीफोलिया* (खोकान), *मिशेलिया चमपाक* (टीता चैम्पा), *डिलनिया इंडिका* (आउटेंगा), *कास्टानोपसिस इंडिका, बिशोफ़िया जावनिका, एलियनथस ग्रैंडिस* (बोरपत), *कैडिया कैलीसीना, बॉम्बैक्स सीबा* (सिमुल), *स्कीमा वॉलिची, स्ट्रियोस्पर्मम चेलोनोइड्स*, एलोकारपस अरिस्टैट्स, *कैनेरियम स्ट्रीक्टम* (धूना), *टेट्रामेलीस नडिफ़ेरा* (भेलु), *एलनस नेपालेंसिस, कास्टानोपसिस इंडिका, बीटुला अल्नोइडस, सैगा डूमोसा* (हेमलोक), *एबीज़ डेंसा* (एबीज़), *पिनस वॉलिचियाना* (ब्लू पाइन), *टैक्सस बकाटा* (इंडियन यू), *रोडोडेंड्रोन एसपी., मैगनोलिया एसपी., फिकस एसपी, क्लेरोडेंड्रम कोलेब्रोकियानम* (नफाफु), *जांथोजाइलम एसपी, पैनाक्स ज़िंगसैंग* (ज़िंग्सैंग), *मेसा इंडिका, कॉस्टस स्पेसिअस, सोलनम ख़ासियानम* और *डेन्ड्रोकालेमस हैमिल्टनि* (काको) शामिल हैं;

और, यह अभयारण्य 138 जीवजन्तु की मुख्य प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है जिसमें अधिकतर *मनीस पैन्टाडैक्टाईला* (चाइनिस साल), *ताल्पा लेकुरा* (व्वाइट टेल्ड मोल), *क्रोसीडुरा एट्यूनेट* (ग्रे श्रेव), *टुपाया बेलेंगेरी* (ट्री श्रेव), *मार्कोग्लोसस सोब्रिनस* (लॉग-टन्गड हिल फ्रुट बैट), *निक्टिकेस कुकांग* (लजीला वानर), *मैकाका एसामेंसिस* (एसामेसे मकाक), *ट्रैकीपिचस पाइपेटस* (कैपड लंगुर), *क्यूओन अल्पाइन* (जंगली कुत्ता), *उर्सस थिबेटनस* (एशियाई काला भालू), *माट्र्स फ्लेविगुला* (येलो थ्रोएटेड मार्टिन), *लुट्रा लुट्रा* (सामान्य ऊदबिलाव), *विवररा जिबेटा* (बड़े भारतीय गंध बिलाव) *पैराडोक्सुरस हेर्मैप्रोडिट्स* (सामान्य पॉम गंध बिलाव), *हर्पेस्टेस एडवड्र्सी* (ग्रे नेवला), *फेलिस चौस* (जंगल बिल्ली), *प्रीओनेइलुरुस बेंगलिनसी* (तेंदुआ बिल्ली), *पार्डोफेलिस मार्मोराटा* (मार्बल्ड बिल्ली), *पैन्थेरा पार्डस* (तेंदुआ), *पैंथेरा टिगरिस* (बाघ), *एलीफस मैक्सिमस* (हाथी), *सस स्क्रोफा* (जंगली सुअर), *मुनीसस मुंटजैक* (मुंजक), *नामोरेडस सुमरात्रिसिस* (हिमालयन सेरो), *रतुफा बिकोलर* (मलाया विशालकाय गिलहरी), *कैलोसुअरुस पायजेरथ्रस* (होरी-बेलिड गिलहरी), *ड्रीममोइस लोकरिया* (ऑरेंज-बेलील्ड हिमालयी गिलहरी), *पेटुरिस्ता पेटुरिस्ता* (सामान्य उड़ान गिलहरी), *बैंडिकोटा इंडिका* (लार्ड बैंडिकूट चूहा) और *हाइरिट्रिक्स ब्रेक्यूरन* (चाइनिस साही) शामिल हैं;

और, अभयारण्य में पक्षी-जीवों की प्रचुरता है और 137 पक्षी की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। इनमें महत्त्वपूर्ण *लोफ़ुरा लेकोमेलानोस* (कालीज तीतर), *पिकस फ्लविनुचा* (ग्रेटर येलो नीप कठफोड़वा), *मेगालाईमा लाइनेट* (लाइनेट बारबेट), *हैल्सीन कोरोमंड* (रूडी किंगफिशर), *सेंट्रोपस बेंगलेंसिस* (लेसर यूकेकल), *ओटस स्पीलोसेफलस* (माउंटेन स्कोप्स उल्लू), *ड्यूकुला बैडिया* (माउंटेन शाही कबूतर), *चाल्कोपॉप्स इंडिका* (एमेरल्ड कबूतर), *स्पिलोर्निस चीला* (क्रास्टेड सर्प ईगल), *सीसा चिनेसिस* (ग्रीन मैग्पी), *डीक्रुरुस रिमीफेर* (लेजर रैकेट-टेल्ड ड्रोंगों), *चाइमार्मर्निस लेकुस्कोफ़लस* (व्हाइट-कैप्ड वॉटर रेडस्टार्ट), *सीटा कासटेनेया* (चेस्टनट- बेलिड नथहेच), *प्रिंनिया हॉड्जसोनी* (ग्रे-ब्रेस्टेड प्रिनिया), *फाइलोस्कोपस ट्रोचिलोइडेस* (ग्रीनिश लीफ वॉर्बलर), *गारुलैक्स पेक्टोरेलिस* (ग्रेटर-नेक्ड लाफिंग थ्रस), *ज़िपिरहिन्चस सुपरसिलारिस* (स्लिम-बिल्ड स्किमिटोर बब्बलर), *मिनला इग्नोटिंक्टा* (रेड-टेल्ड मिनला), *एलकिपी रुफोगुलरिस* (रुफोस-थ्रोटेड फुलवेटा), *यूहिना कास्टैनिसप्स* (स्ट्राइटेड यूहिना), *पैराडोक्सोर्निस गुलारिस* (ग्रे-हेडेड पैरोटबिल), *अरचनोथेरा मैग्रा* (स्ट्रेकड स्पाइडर हंटर), *डेन्ड्रॉनथुस इंडीकस* (फॉरेस्ट वेगाटेल), *एंथस रुफुल्सुस* (पैड्डी फील्ड पिपिट) और *लोनचुर पेनकटुलाटा* (स्कैलि-ब्रेस्टेड मोनिया) हैं;

और, अभयारण्य उभचरों और सरीसृपों की 31 महत्वपूर्ण प्रजातियों को संरक्षण और सहायता प्रदान करता है। सरीसृपों में *पिक्साइडिया मौहोटी* (किलबॉक्स कछुए), *गीका जोको* (टोके), *पिक्टोलामेस गुलारिस* (ब्लू श्रोएटेड फ़ॉरेस्ट छिपकली), *मुबाय कैरिनटा* (सामान्य सनस्किक), *टाकीड्रोमस सेक्सलाइनेटस* (एशिअन लॉग टेल्ड ग्रास छिपकली), *वारानस बेंगलेंसिस* (मॉनीटर लिजार्ड), *टाईफलोप्स डिआरडी* (डिआरडस ब्लाइंड साँप), *पायथन मॉलुरुस बाविटाटस* (बरमेसे पाइथन), *कोलेगैंथस रेडियस* (कॉपरहेड साँप), *पारेस मॉन्टिकोला* (असम स्नैल ईटर), *पटास कोरोस* (इंडो-चाइनिस चूहे साँप), *डेंड्रोलाफिस पिक्टस* (पेंटेड ब्रोन्ज़ेबैक), *बोइगा गोकुल* (इस्टर्न गामा), *ओफ़िओफैगस हन्ना* (किंग कोबरा) और *त्रिमीरसुरस युनेसेंसिस* (ग्रीन पिट वाइपर) हैं। उभचयर *दत्ताफ्रीनस मेलानोस्टिक्टस* (सामान्य मेंढक), *हाला एनेक्टेंस* (भारतीय हीलिड मेंढक), *माइक्रोहाला औरनेट* (औरनामेंटल पिग्मी मेंढक), *अमोलोप्स एसामेन्सीस* (असामेसे कैस्केड मेंढक) और *रैकोफोरस मैक्सिमस* (लार्ज ट्री फ्रोग) हैं। यह 8 मछली प्रजातियों का भी समर्थन करता है *एंगुइला बेंगलेंसिस* (लांग फिन एयल), *सल्मास्टोमा बेकाइला* (लार्ज रेजर बेल्ली मिनोव), *दानियो अक्वीफिनटस* (डोरिकाना), *बारिलियस बरना* (बरना ब्राइला), *पंटिकस सरना* (चिनीपुथी), चुगुइनियस चगुनियो (केंटापुथी), *लेबियो पंगिसिया* (सिलघोरिया), *टोर टोर* (टोर मोहसीर), *टोर पुतिटोरा* (गोल्डन माहसीर), *गारा गोटयला* (गारा) और *वॉलगो अत्तु* (बोरली) शामिल हैं;

और, अभयारण्य एक लुप्तप्राय प्रजाति लमचित्ता और एक संकटापन्न प्रजाति हुलांक उतक को संरक्षण, सुरक्षा और आश्रय भी प्रदान करता है;

और, अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के सीमित वनस्पति, जीवजन्तु और पक्षी-जीव रहते हैं, और यह मिजोरम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षक और आश्रय स्थल है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिजोरम राज्य में मेहो वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 46.49 वर्ग किलोमीटर के साथ 0.5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को मेहो वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन, मेहो वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर के साथ 46.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

(2) मेहो वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में संलग्न हैं।

(3) मेहो वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक **उपाबंध II** के रुप में संलग्न है।

(4) भू-निर्देशांकों के साथ मेहो वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल पृथ्वी मानचित्र **उपाबंध IV** के रुप में संलग्न है।

(6) भू-निर्देशांकों के साथ मेहो वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना :–

1. राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

2. राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

3. आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जायेगा,:--

i. पर्यावरण विभाग;

ii. वन और वन्यजीव विभाग;

iii. कृषि और बागवानी विभाग ;

iv. भूमि राजस्व और बंदोबस्त विभाग;

v. ग्रामीण विकास विभाग;

vi. शहरी विकास विभाग;

vii. नगरपालिका विभाग;

viii. पंचायती राज विभाग;

ix. पारि-पर्यटन सहित पर्यटन विभाग;

x. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग;

4. जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल बन सकें।

5. आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

6. आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा।

7. इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

8. आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास को विनियमित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्टा प्रतिषिद्ध एवं विनियमित और बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जायेगा ।

9. आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

10. अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी। ताकि वह निगरानी के अपने कर्तव्यों का इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निवर्हन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

1. **भू-उपयोग**:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग;

(v) पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं; और

(vi) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों के अनुपालन के बिना तथा विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ड़) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का सुधार करने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के तथा पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

2. **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों/चैनल/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजना शामिल की जाएगी। इन क्षेत्रों में या इनके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

3. **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन**:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जायेगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) मेहो वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

4. **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

5. **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति क्षेत्रों, ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

6. **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

7. **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

8. **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय समय पर यथासंशोधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

10. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

11. **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

12. **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

13. **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय –समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

14. **सड़क-यातायात: -** सड़क यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

15. **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

16. **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

17. **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

18. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं;

		(ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	नई बड़ी जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नही होंगी। (ख) परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
10.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय निवासियों लोगों को, अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना;

		(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना; (iv) कुटीर उद्योग सहित ग्रामीण उद्योग सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ग) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (घ) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगी।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स को उड़ाने आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।

25.	प्लास्टिक से बने बैगों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर प्लास्टिक के बैगों के उपयोग की अनुज्ञा होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति.-

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i)	उपायुक्त, लोअर दिबांग घाटी जिला, अरुणाचल प्रदेश	-अध्यक्ष;
(ii)	जिला पर्यटन अधिकारी, लोअर दिबांग घाटी जिला, रोइंग, अरुणाचल प्रदेश	–सदस्य;
(iii)	भूमि राजस्व और बंदोबस्त विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iv)	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(v)	उप निदेशक, कृषि, लोअर दिबांग घाटी जिला, रोइंग, अरुणाचल प्रदेश	–सदस्य;
(vi)	स्थानीय प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(vii)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(viii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरीग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(ix)	मत्स्य पालन विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(x)	उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xi)	पुलिस विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xii)	ऊर्जा एवं विद्युत विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xiii)	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xiv)	मृदा एवं नमी संरक्षण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xv)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xvi)	पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;

(xvii)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–सदस्य;
(xviii)	अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामित अरुणाचल प्रदेश राज्य की प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी तंत्र का विशेषज्ञ	–सदस्य;
(xix)	सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड	–सदस्य;
(xx)	डीएफओ, दिबांग वन विभाग, रोइंग	–सदस्य;
(xxi)	डीएफओ, मेहो वन्यजीव अभयारण्य, रोइंग	–सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय :-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंर्तगत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/04/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

मेहो वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा मेहो वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर-पश्चिमी किनारे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर भू-निर्देशांक 28°14'20.303"उ; 95°47'2.476"पू के बिंदु से आरंभ होती है। सीमा अभयारण्य की उत्तरी सीमा के समानांतर 500 मीटर पूर्व की ओर बिंदु 28°14'38.764"उ; 95°49'44.656"पू और 28°14'44.131"उ; 95°56'21.322"पू, से होते हुए बिंदु 28°12'0.968" उ; 96°3'6.826"पू तक जाती है।

पूर्व: इसके बाद, सीमा अभयारण्य की पूर्वी सीमा के समानांतर 500 मीटर दक्षिण की ओर बिंदु 28°9'13.864"उ; 96°2' 18.830" पू और 28°6'18.068"उ; 96°0'45.004"पू, से होते हुए बिंदु 28°3'42.811"उ; 95°59'28.860"पू तक जाती है।

दक्षिण: इसके बाद, यह अभयारण्य की दक्षिणी सीमा के समानांतर 500 मीटर दक्षिण की ओर बिंदु 28°5'47.576"उ एवं 95°53'30.656"पू, से होते हुए बिंदु 28°5'46.910"उ एवं 95°51'10.300 पू तक जाती है।

पश्चिम: इसके बाद, यह अभयारण्य की पश्चिमी सीमा के समानांतर बिंदु 28°7'3.706"उ एवं 95°51'9.061" पू, 28°9'15.199"उ एवं 95°51'10.300"पू, 28°11'17.131"उ एवं 95°50'28.698"पू, 28°12'9.69"उ एवं 95°51'14.904"उ और 28°13'17.461'उ एवं 95°46'54.109"पू, से होते हुए 500 मीटर उत्तर की ओर जाती है इसके बाद यह भू-निर्देशांक 28°14'20.303" उ एवं 95°47'2.476"पू पर आरंभिक बिंदु तक जाती है।

उपाबंध-II

भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली की दृष्टि से मेहो वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक संरक्षित क्षेत्र की सीमा के मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	28°14'4.924"उ	95°47'8.372"पू
2	28°14'23.478"उ	95°49'37.495"पू
3	28°14'31.034"उ	95°56'10.478"पू
4	28°11'49.384"उ	96°2'53.254"पू
5	28°9'14.440"उ	96°2'0.517"पू
6	28°6'23.288"उ	96°0'27.659"पू
7	28°3'52.697"उ	95°59'14.334"पू
8	28°5'57.210"उ	95°53'46.259"पू
9	28°5'54.092"उ	95°51'26.726"पू
10	28°7'3.385"उ	95°51'27.382"पू
11	28°9'34.988"उ	95°51'28.811"पू
12	28°11'3.959"उ	95°50'39.599"पू
13	28°12'12.485"उ	95°51'34.592"पू
14	28°13'27.062"उ	95°47'8.898"पू

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	28°14'20.303"उ	95°47'2.476"पू
2	28°14'38.764" उ	95°49'44.656"पू
3	28°14'44.131"उ	95°56'21.322"पू
4	28°12'0.968"उ	95°3'6.826"पू
5	28°9'13.864"उ	96°2'18.830"पू
6	28°6'18.068"उ	96°0'45.004"पू
7	28°3'42.811"उ	95°59'28.860"पू
8	28°5'47.576"उ	95°53'30.656"पू
9	28°5'46.910"उ	95°51'10.300"पू
10	28°7'3.706"उ	95°51'9.061"पू
11	28°9'15.199"उ	95°51'10.300"पू
12	28°11'17.131"उ	95°50'28.698"पू
13	28°12'9.691"उ	95°51'14.904"पू
14	28°13'17.461"उ	95°46'54.109"पू

उपाबंध-III

भू-निर्देशांकों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची:-

क्र. सं.	ग्राम	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारुप)	जिला
1	कोरोनु	095°55'34.8" पू	28°03'49.95" उ	निचला दिबांग घाटी जिला अरुणाचल प्रदेश
2	इंजुनो	095°54'57.2" पू	28°04'16.9" उ	
3	अबांगो	095°53'34.7" पू	28°05'56.9" उ	
4	सिमरी	095°52'24.6" पू	28°05'43.6" उ	
5	बलेक	095°51'08.9" पू	28°05'58.1" उ	
6	चेता-I	095°51'10.935" पू	28°08'19.80" उ	
7	इज़ेन्गो	95°50'56.22" पू	28° 9'21.07" उ	
8	रयांग	095°51'10.81" पू	28°07'31.123" उ	
9	6 के.एम. ग्राम	095°50'0.225" पू	28°10'28.41" उ	

उपाबंध IV

मेहो वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल पृथ्वी मानचित्र

उपाबंध V

भू-निर्देशांकों के साथ मेहो वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

GEO- REF OF MEHAO WLS					
SL	E			N	
1	95	47	8.372	28	14 4.924
2	95	49	37.495	28	14 23.478
3	95	56	10.478	28	14 31.034
4	96	2	53.254	28	11 49.384
5	96	2	0.517	28	9 14.440
6	96	0	27.659	28	6 23.288
7	95	59	14.334	28	3 52.697
8	95	53	46.259	28	5 57.210
9	95	51	26.726	28	5 54.092
10	95	51	27.382	28	7 3.385
11	95	51	28.811	28	9 34.988
12	95	50	39.599	28	11 3.959
13	95	51	34.592	28	12 12.485
14	95	47	8.898	28	13 27.062

GEO -REF OF ESZ MEHAO WLS					
SL	E			N	
1	95	47	2.476	28	14 20.903
2	95	49	44.056	28	14 38.764
3	95	56	21.322	28	14 44.131
4	96	3	6.826	28	12 0.968
5	96	2	18.830	28	9 13.864
6	96	0	45.004	28	6 18.068
7	95	59	28.860	28	3 42.811
8	95	53	30.056	28	5 47.576
9	95	51	10.300	28	5 46.910
10	95	51	9.061	28	7 3.706
11	95	51	10.300	28	9 15.199
12	95	50	28.698	28	11 17.131
13	95	51	14.904	28	12 9.691
14	95	46	54.109	28	13 17.461

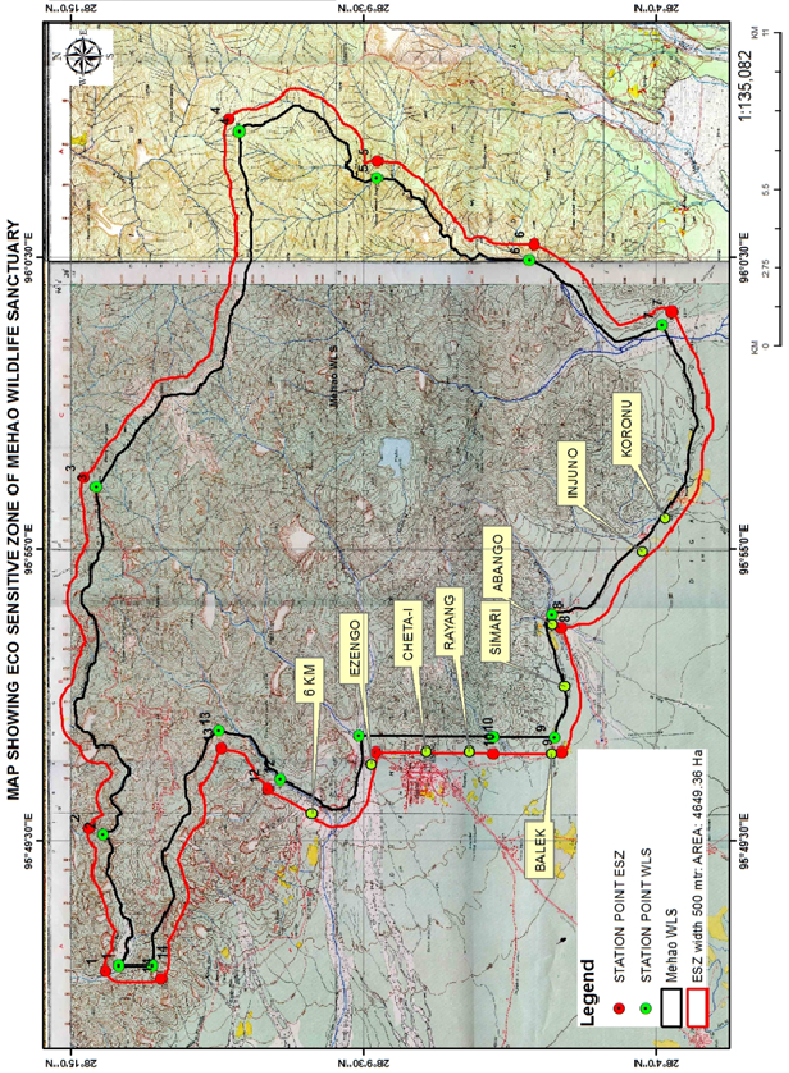

उपाबंध VI

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2018

S.O. 772(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 3546 (E), dated 30th December, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the Draft Notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Mehao Wildlife Sanctuary (herein after referred to as the Sanctuary) lies between 95°50' and 96°30' east longitude and 28°03' and 28°15' North latitude and is situated in Lower Dibang Valley District in the eastern part of the Arunachal Pradesh state and is about 1.0 kilometer close to the Roing, the district headquarters of Lower Dibang Valley;

AND WHEREAS, the altitude of the Sanctuary varies from 400 meters above mean sea level (MAMSL) at southern boundary rising to northern boundary which follows a ridge touching peaks 3110, 3568,3560, 3003 and 2997 MAMSL. The Sanctuary comprises of smaller hills of varying heights running north-south with slopes varying from 55° to 70°. The valleys are narrow along the rivers and streams. It is interspersed with small flat land at different alleviations which provide shelter to wildlife. The three natural water bodies namely Mehao lake, mini Mehao lake and Sally lake add significance to the Sanctuary;

AND WHEREAS, the Sanctuary considering its ecological, floral, faunal and natural significance was notified vide No. FOR.85/77/27-397-40 dated October 18, 1980 and came into existence on October 10, 1986 vide Gazzette Notification No.FOR.85/77. It is spread over an area of 281.50 square kilometers and administered under Divisional Forest Officer, Mehao Wildlife Sanctuary Division, headquarter at Roing;

AND WHEREAS, the Sanctuary is represented by various forest types like tropical evergreen forest, tropical semi-green forest, sub-tropical evergreen forest, temperate broad leaves forest, temperate conifer forest, wet temperate forest and bamboo forest;

AND WHEREAS, the Sanctuary conserves the floral and faunal biodiversity and supports 138 species of fauna, 36 species of flora, 137 important avifaunal species and 31 species of amphibians and reptiles. The 36 species of flora include *Terminalia myriocarpa* (Hollock), *Terminalia bellerica*, *Altingia exelsa* (Jutli), *Abizzia lucida*, *Canarium strictum* (Dhuna), *Largerstromia munitecarpa*, *Daubanga grandifolia* (Khokan), *Michelia champaka* (Tita champa), *Dillenia indica* (Outenga), *Castanopsis indica*, *Bischofia javanica*, *Alianthus grandis* (Borpat), *Kydia calycina*, *Bombax ciba* (Simul), *Schima wallichi*, *Streospermum chelonoides*, *Eleocarpus aristatus*, *Canarium strictum* (Dhuna), *Tetramelis nudifera* (Bhelu), *Alnus nepalensis*, *Castanopsis indica*, *Betula alnoides*, *Tsuga dumosa* (Hemlock), *Abies densa* (Abies), *Pinus wallichiana* (Blue pine), *Taxus baccata* (Indian yew), *Rhododendron* sp., *Magnolia* sp., *Ficus* sp., *Clerodendrum colebrokianum* (Naphaphu), *Zanthozylum* sp., *Panax zingsang* (Zingsang), *Maesa indica*, *Costus specious*, *Solanum khasianum* and *Dendrocalamus hamiltonii* (Kako);

AND WHEREAS, the Sanctuary supports 138 faunal species majorly including *Manis pentadactyla* (Chinese Pangolin), *Talpa leucura* (White-tailed mole), *Crocidura attenuate* (Grey shrew), *Tupaia belangeri* (Tree shrew), *Marcoglossus sobrinus* (Long-tongued hill fruit bat), *Nycticebus coucang* (Slow loris), *Macaca assamensis* (Assamese macaque), *Trachypitchcus pipeatus* (Capped langur), *Cuon alpines* (Wild dog), *Ursus thibetanus* (Asiatic black bear), *Martes flavigula* (Yellow throated martin), *Lutra lutra* (Common otter), *Viverra zibetha* (Large Indian civet), *Paradoxurus hermaphrodites* (Common palm civet), *Herpestes edwardsii* (Grey mongoose), *Felis chaus* (Jungle cat), *Prionailurus bengalensi* (Leopard cat), *Pardofelis marmorata* (Marbled cat), *Panthera pardus* (Leopard), *Panthera tigris* (Tiger), *Elephas maximus* (Elephant), *Sus scrofa* (wild pig), *Muntiacus muntjak* (Barking deer), *Naemorhedus sumatraensis* (Himalayan serow), *Ratufa bicolor* (Malayan giant squirrel), *Callosciurus pygerythrus* (Hoary-bellied squirrel), *Dremomys lokriah* (Orange-bellied Himalayan squirrel), *Petaurista petaurista* (Common flying squirrel), *Bandicota indica* (Large bandicoot rat) and *Hystrix brachyuran* (Chinese porcupine);

AND WHEREAS, the Sanctuary is astonishing rich in avifauna and supports 137 bird species. The important ones are *Lophura leucomelanos* (Kalij pheasant), *Picus flavinucha* (Greater yellow nape woodpecker), *Megalaima lineate* (Lineated barbet), *Halcyon coromanda* (Ruddy kingfisher), *Centropus bengalensis* (Lesser coucal), *Otus spilocephalus* (Mountain scopes owl), *Ducula badia* (Mountain imperial pigeon), *Chalcophaps indica* (Emerald dove), *Spilornis cheela* (Crested serpent eagle), *Cissa chinensis* (Green magpie), *Dicrurus remifer* (Lesser racket-tailed drongo), *Chaimarrornis leucocephalus* (White-capped water redstart), *Sitta castanea* (Chestnut-bellied nuthatch), *Prinia hodgsonii* (Grey-breasted prinia), *Phylloscopus trochiloides* (Greenish leaf warbler), *Garrulax pectoralis* (Greater-necklace laughing thrush), *Xiphirhynchus superciliaris* (Slender-billed scimitar babbler), *Minla ignotincta* (Red-tailed minla), *Alcippe rufogularis* (Rufous-throated fulvetta), *Yuhina castaniceps* (Straited yuhina), *Paradoxornis gularis* (Grey-headed parrotbill), *Arachnothera magna* (Streaked spider hunter), *Dendronanthus indicus* (Forest wagtail), *Anthus rufulus* (Paddy field pipit) and *Lonchura punctulata* (Scaly-breasted munia);

AND WHEREAS, the Sanctuary conserve and support 31 important species of amphibians and reptiles. The reptiles are *Pyxidea mouhoti* (Keelbox turtle), *Gekko gecko* (Tockay), *Ptyctolaemus gularis* (Blue throated forest lizard), *Mubaya carinata* (Common sunskink), *Takydromus sexlineatus* (Asian long tailed grass lizard), *Varanus bengalensis* (Monitor lizard), *Typhlops diardi* (Diard's blind snake), *Python molurus bivittatus* (Burmese python), *Coeloganthus radius* (Copperhead snake), *Pareas monticola* (Assam snail eater), *Ptyas korros* (Indo-chinese rat snake), *Dendrolaphis pictus* (Painted bronzeback), *Boiga gokool* (Eastern gamma), *Ophiophagus hannah* (King cobra) and *Trimerusurus yunanensis* (Green pit viper). The amphibians are *Duttaphrynus melanostictus* (Common toad), *Hyla annectans* (Indian hylid frog), *Microhyla ornate* (Ornamental pigmy frog), *Amolops assamensis* (Assamese cascade frog) and *Rhacophorus maximus* (Large tree frog). It also supports eight fish species including *Anguilla bengalensis* (Long fin eel), *Salmastoma bacaila* (Large razor belly minnow), *Danio aequipinnatus* (Dorikana), *Barilius barna* (Barna braila), *Punticus sarana* (Chiniputhi), *Chagunius chagunio* (Kentahputhi), *Labeo pangisia* (Silghoria), *Tor tor* (Tor mahseer), *Tor putitora* (Golden Mahseer), *Gara gotyla* (Gara) and *Wallago attu* (Borali);

AND WHEREAS, the Sanctuary also conserves, protect and provides shelter to one endangered species, clouderd leopard, and one threatened species, Hoolock gibbon;

AND WHEREAS, the Sanctuary is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to endangered species of wildlife endemic. Hence, it is necessary to conserve and protect the area around the Sanctuary from ecological and environmental point of view to protect and propagate the biodiversity therein and its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 46.49 square kilometers with uniform 0.5 kilometers extent in all directions around the boundary of Mehao Wildlife Sanctuary in the state of Arunachal Pradesh as Mehao Wildlife sanctuary Eco-Sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under, namely :-

1. Extent and Boundaries of Eco-Sensitive Zone :-

(1) The Eco-Sensitive Zone shall be 46.49 square kilometers with uniform 0.5 kilometers extent in all directions around the boundary of the Mehao Wildlife Sanctuary;

(2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone around the Mehao Wildlife Sanctuary is appended as Annexure-I;

(3) Geo-coordinates of the Mehao Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates is appended as Annexure-II;

(4) The list of villages falling under the Mehao Wildlife Sanctuary ESZ along with Geo-coordinates is appended as Annexure-III;

(5) The Google earth map of Eco-Sensitive Zone is appended as Annexure-IV;

(6) Map of the Mehao Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone along with Geo-coordinates.

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone :-

1. The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

2. The Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

3. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments for integrating the ecological and environmental considerations into the proposed plan:

   i. Environment Department
   ii. Forest and Wildlife Department
   iii. Agriculture & Horticulture Department
   iv. Land Revenue and Settlement Department
   v. Rural Development Department
   vi. Urban Development Department
   vii. Municipal Department
   viii. Panchayati Raj Department
   ix. Tourism including Eco-tourism Department
   x. Irrigation and Flood Control Department

4. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this Notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

5. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of the local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

6. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as park and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

7. The Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

8. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote the eco-friendly development for livelihood security of local communities.

9. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

10. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the State and District level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this Notification.

3. Measures to be taken by State Government :-

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this Notification, namely :-

1. **Landuse:**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries;

(v) Convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including home stay; and

(vi) Promoted activities and activities given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Provided also that there shall be no consequential reduction in the green area such as forest area and agriculture area. Efforts shall be made to reforest the unused, denuded or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

2. **Natural water bodies:**

The catchment areas of all natural rivers/channels/springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan. The strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

3. **Tourism/ Eco-tourism:**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 km from the boundary of the Mehao Wildlife Sanctuary or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1.0 km from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

4. Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

5. Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as a part of the Zonal Master Plan.

6. Noise pollution: Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

7. Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

8. Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

9. Solid wastes: Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide Notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time and the relevant rules notified by the State Government;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

10. Bio-medical waste: Bio-medical waste management shall be as under:

(a) TheBio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

11. Plastic Waste Management: The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

12. Construction and Demolition Waste Management: The management of construction and demolition waste in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

13. E-Waste Management: The E-Waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

14. Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

15. Vehicular Pollution: The prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

16. Industrial Units:

(i) On or after the publication of this Notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

17. Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

18. The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this Notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone:

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T. N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in Feb 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
9.	Commercial establishment of hotels and resorts	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 1.0 km of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. (b) Provided that, beyond 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism / Eco-tourism Master Plan and guidelines as applicable.

10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies	Regulated under applicable laws.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond 1.0 km it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP)	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, Microlites, helicopter, drones etc.	Regulated under applicable law.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.

24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of plastic bags	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels	Biogas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
35.	Use of Eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
36.	Skill development	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of habitat/ degraded land/ forests	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee :- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a district level Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i)	Deputy Commissioner, Lower Dibang Valley District, Arunachal Pradesh	- Chairman
(ii)	District Tourism Officer, Lower Dibang Valley District, Roing, Arunachal Pradesh	- Member
(iii)	Representative of Land Revenue & Settlement Department	- Member
(iv)	Representative of Rural Development Department	- Member
(v)	Deputy Director, Agriculture, Lower Dibang Valley District, Roing, Arunachal Pradesh	- Member
(vi)	Representative of Local Administration Department	- Member
(vii)	Representative of Public Works Department	- Member
(viii)	Representative of Public Health Engineering Department	- Member
(ix)	Representative of Fishery Department	- Member
(x)	Representative of Industries Department	- Member
(xi)	Representative of Police Department	- Member
(xii)	Representative of Power & Electricity Department	- Member
(xiii)	Representative of Animal Husbandry & Veterinary Department	- Member
(xiv)	Representative of Soil & Moisture Conservation Department	-Member
(xv)	Representative of Minor Irrigation Department	- Member
(xvi)	Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Arunachal Pradesh	- Member
(xvii)	Regional Officer, State Pollution Control Board	- Member
(xviii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of Arunachal Pradesh State to be nominated by the Government of Arunachal Pradesh	- Member
(xix)	Member Secretary, State biodiversity Board	- Member
(xx)	DFO, Dibang Forest Division, Roing	- Member
(xxi)	DFO, Mehao Wildlife Sanctuary, Roing	-Member Secretary

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said Notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this Notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at Annexure VI.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this Notification.

8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/04/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of the Eco-Sensitive Zone around the Mehao Wildlife Sanctuary

North: The boundary of Eco-Sensitive Zone starts from a point at geo- coordinates 28°14'20.303"N; 95°47'2.476"E, at about 500 meters away from North-West corner of Mehao Wildlife Sanctuary, the boundary goes eastwards 500 meters parallel to the Northern boundary of the sanctuary passing through the points 28°14'38.764"N;95°49'44.656"E and 28°14'44.131"N; 95°56'21.322"E, up to the point 28°12'0.968" N; 96°3'6.826"E.

East: Thence, the boundary goes southwards 500 meter parallel to the eastern boundary of the Sanctuary passing through the points 28°9'13.864"N; 96°2' 18.830" E and 28°6'18.068"E; 96°0'45.004"E, up to the points 28°3'42.811"N; 95°59'28.860"E.

South: Thence, it goes westwards 500 meters parallel to the southern boundary of the sanctuary passing through point 28°5'47.576"N & 95°53'30.656"E, up to the points 28°5'46.910"N & 95°51'10.300 E.

West: Thence, it goes northwards 500 meters parallel to the western boundary of the sanctuary passing through the points 28°7'3.706"N & 95°51'9.061"E, 28°9'15.199"N & 95°51'10.300"E, 28°11'17.131"N & 95°50'28.698"E, 28°12'9.69"N & 95°51'14.904"E and 28°13'17.461'N & 95°46'54.109"E, thence up to the starting point at Geo-coordinates 28°14'20.303"N & 95°47'2.476"E.

ANNEXURE-II

GEO-COORDINATES OF THE MEHAO WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN TERMS OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM:

GEO-COORDINATES OF THE PROMINENT POINTS ON PA BOUNDARY

Sl. No.	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	28°14'4.924"N	95°47'8.372"E
2	28°14'23.478"N	95°49'37.495"E
3	28°14'31.034"N	95°56'10.478"E
4	28°11'49.384"N	96°2'53.254"E
5	28°9'14.440"N	96°2'0.517"E
6	28°6'23.288"N	96°0'27.659"E
7	28°3'52.697"N	95°59'14.334"E
8	28°5'57.210"N	95°53'46.259"E
9	28°5'54.092"N	95°51'26.726"E
10	28°7'3.385"N	95°51'27.382"E
11	28°9'34.988"N	95°51'28.811"E
12	28°11'3.959"N	95°50'39.599"E
13	28°12'12.485"N	95°51'34.592"E
14	28°13'27.062"N	95°47'8.898"E

GEO-COORDINATES OF THE PROMINENT POINTS ON ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Sl. No.	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	28°14'20.303"N	95°47'2.476"E
2	28°14'38.764"N	95°49'44.656"E
3	28°14'44.131"N	95°56'21.322"E
4	28°12'0.968"N	95°3'6.826"E
5	28°9'13.864"N	96°2'18.830"E
6	28°6'18.068"N	96°0'45.004"E
7	28°3'42.811"N	95°59'28.860"E
8	28°5'47.576"N	95°53'30.656"E
9	28°5'46.910"N	95°51'10.300"E
10	28°7'3.706"N	95°51'9.061"E
11	28°9'15.199"N	95°51'10.300"E
12	28°11'17.131"N	95°50'28.698"E
13	28°12'9.691"N	95°51'14.904"E
14	28°13'17.461"N	95°46'54.109"E

ANNEXURE-III

List of villages falling under the proposed ESZ along with Geo-coordinates :-

S. No.	Village	Longitude (E) (DMS Format)	Latitude (N) (DMS Format)	District
1	Koronu	095°55’34.8” E	28°03’49.95” N	Lower Dibang Valley District Arunachal Pradesh
2	Injuno	095°54’57.2” E	28°04’16.9” N	
3	Abango	095°53’34.7” E	28°05’56.9” N	
4	Simari	095°52’24.6” E	28°05’43.6” N	
5	Balek	095°51’08.9” E	28°05’58.1” N	
6	Cheta-I	095°51’10.935” E	28°08’19.80” N	
7	Ezengo	95°50'56.22"E	28° 9'21.07"N	
8	Rayang	095°51’10.81” E	28°07’31.123” N	
9	6 K.M. village	095°50’0.225” E	28°10’28.41” N	

ANNEXURE-IV

GOOGLE EARTH MAP OF THE MEHAO WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ESZ

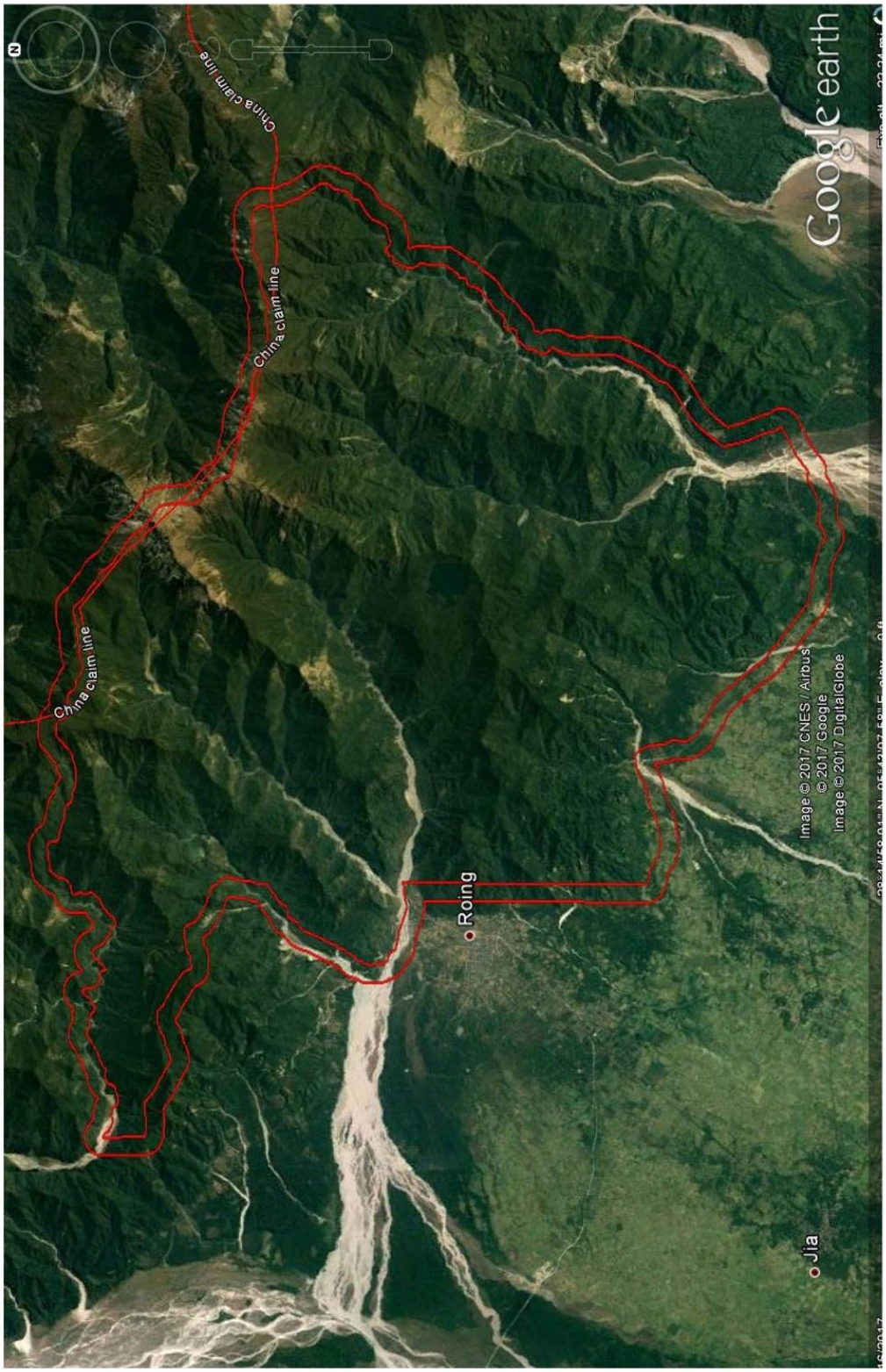

ANNEXURE-V

MAP OF THE MEHAO WILDLIFE SANCTUARY ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

GEO- REF OF MEHAO WLS							
SL	E				N		
1	95	47	8.372		28	14	4.924
2	95	49	37.495		28	14	23.478
3	95	56	10.478		28	14	31.034
4	96	2	53.254		28	11	49.384
5	96	2	0.517		28	9	14.440
6	96	0	27.659		28	6	23.288
7	95	59	14.334		28	3	52.697
8	95	53	46.259		28	5	57.210
9	95	51	26.726		28	5	54.092
10	95	51	27.382		28	7	3.385
11	95	51	28.811		28	9	34.988
12	95	50	39.599		28	11	3.959
13	95	51	34.592		28	12	12.485
14	95	47	8.898		28	13	27.062

GEO -REF OF ESZ MEHAO WLS							
SL	E				N		
1	95	47	2.476		28	14	20.303
2	95	49	44.656		28	14	38.764
3	95	56	21.322		28	14	44.131
4	96	3	5.826		28	12	0.968
5	96	2	18.830		28	9	13.864
6	96	0	45.004		28	6	18.068
7	95	59	28.860		28	3	42.811
8	95	53	30.656		28	5	47.576
9	95	51	10.300		28	5	46.910
10	95	51	9.061		28	7	3.706
11	95	51	10.300		28	9	15.199
12	95	50	28.698		28	11	17.131
13	95	51	14.904		28	12	9.691
14	95	46	54.109		28	13	17.461

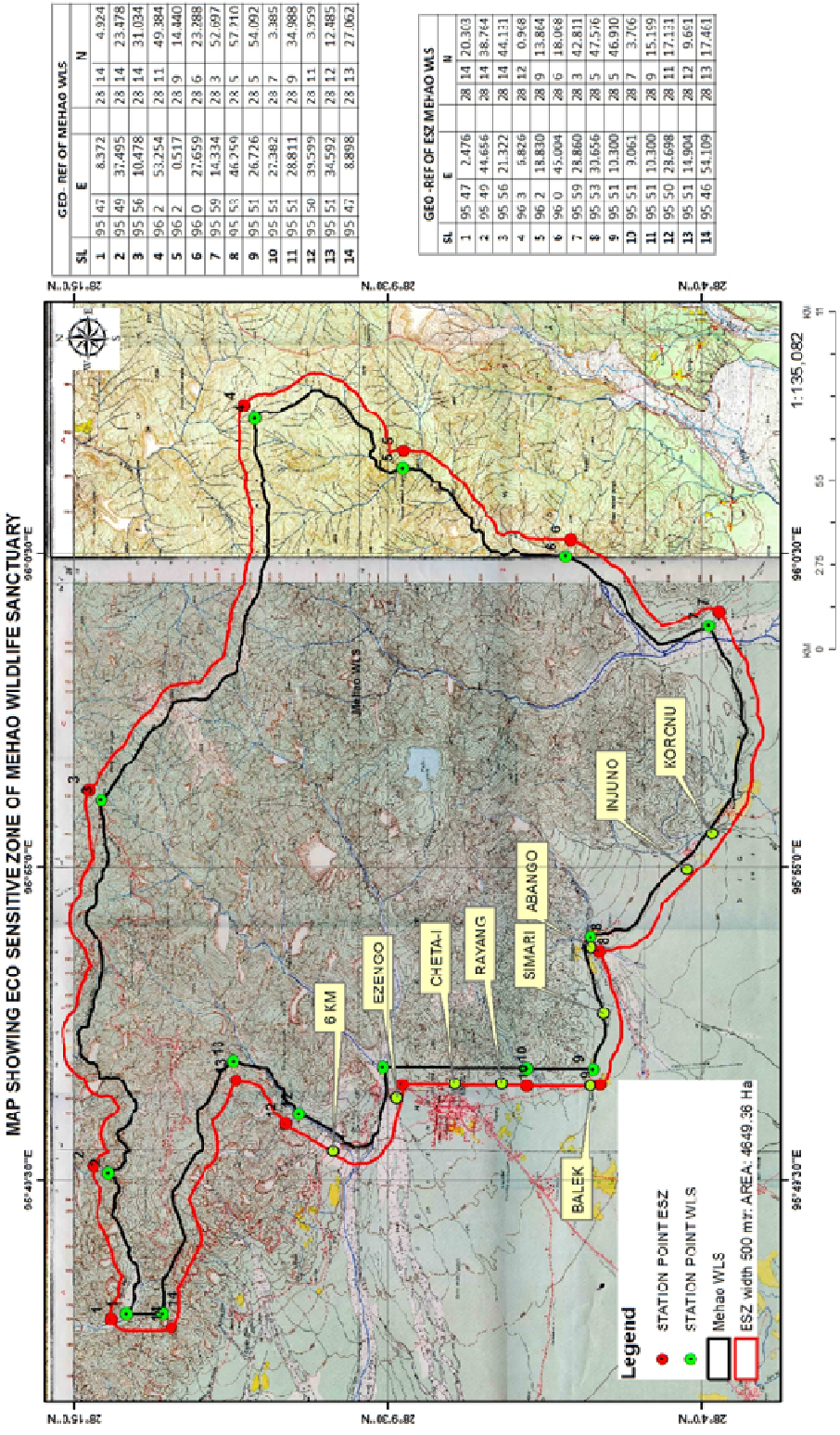

ANNEXURE-VI

Pro forma of Action Taken Report: Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee:-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure)
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.03 14:39:01 +05'30'